विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय सम्मिलित हैं:

भाग–अ	**:**	**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)**
प्रस्तावना	**:**	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप
अध्याय–I	**:**	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप
अध्याय–II	**:**	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण
अध्याय–III	**:**	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप
अध्याय–IV	**:**	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण
भाग–ब	**:**	**आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभाग एवं इकाइयाँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)**
अध्याय–V	**:**	आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप, एवं
अध्याय–VI	**:**	आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सम्मिलित किये गये लेखापरीक्षा परिणाम का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 324.44 करोड़ है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये आठ प्रकरणों में ₹ 47.98 करोड़ की वसूली हुई।

भाग–अ: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

31 मार्च 2019 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे, जिनमें छः सांविधिक निगम एवं 108 सरकारी कम्पनियां (46 अकार्यरत सरकारी कम्पनियां सहित) थी। इस प्रतिवेदन में 35 पीएसयूज शामिल हैं जिनके लेखे तीन वर्षों अथवा उससे अधिक समय से बकाया नहीं थे एवं कार्यरत थे/परिसमापन के अर्न्तगत नहीं थे। इस अध्याय में शामिल कार्यरत पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 71,473 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.63 प्रतिशत के बराबर था। 79 पीएसयूज जिनमें ₹ 9,423.77 करोड़ का निवेश हैं, को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(प्रस्तर 1.1, 1.4, 3.1, 3.2 एवं 3.4)

अध्याय–I: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में से, 11 पीएसयूज जो कि कार्यरत थे एवं जिनके लेखे 2016–17 तक अथवा उसके पश्चात की अवधि के लिए तैयार किये गये थे, को विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के लिये चयनित किया गया है।

इन 11 पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 2018–19 के दौरान ₹ 61,856 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4.01 प्रतिशत के बराबर था जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करता है।

(प्रस्तर 1.1 एवं 1.4)

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) की हिस्सेदारी

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में 31 मार्च 2019 तक कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 1,97,352.73 करोड़ था। निवेश में पूँजी 59.75 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 40.25 प्रतिशत था। इसमें से जीओयूपी का ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश ₹ 1,23,483.54 करोड़ था जिसमें पूँजी के ₹ 1,17,911.72 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 5,571.82 करोड़ सम्मिलित थे।

(प्रस्तर 1.4 एवं 1.9)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज द्वारा वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में वहन की गयी हानि क्रमशः ₹ 11,143.21 करोड़ एवं ₹ 13,460.89 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में ₹ 14,398.96 करोड़ हानि हुई। इन पीएसयूज के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर, दो पीएसयूज ने ₹ 126.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज ने ₹ 14,525.35 करोड़ की हानि उठाई जिसमें उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उठायी गयी ₹ 8,118.80 करोड़ की महत्वपूर्ण हानि शामिल है।

(प्रस्तर 1.10)

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज में निवेशित धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 3,53,573.44 करोड़ आगणित होता है। 2000–01 एवं 2018–19 के मध्य की अवधि के दौरान, इन पीएसयूज की कुल आय ऋणात्मक रही जो कि यह दर्शाता है कि निवेशित धनराशि पर राजस्व उत्पन्न करने के स्थान पर, ये पीएसयूज सरकार के धन की लागत को भी नहीं वसूल कर पाये। 2018–19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल के ₹ 21,579.60 करोड़ के सापेक्ष इन ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज ने ₹ 14,398.96 करोड़ की हानि उठायी।

(प्रस्तर 1.12)

निवल मूल्य का क्षरण

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयूज की 31 मार्च 2019 को कुल संचित हानियाँ ₹ 1,62,180.07 करोड़ थी। इनमें से, नौ पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 में हानियाँ उठाई, संचित हानियाँ ₹ 1,63,356.12 करोड़ थी एवं दो लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज का ₹ 1,176.05 करोड़ का संचित लाभ/आधिक्य था। 11 पीएसयूज में से छः का निवल मूल्य संचित हानियों के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया एवं 31 मार्च 2019 तक इन पीएसयूज में पूँजी निवेश के ₹ 72,338.46 करोड़ के सापेक्ष निवल मूल्य (–) ₹ 74,102.48 करोड़ था। पाँच पीएसयूज जिनका निवल मूल्य मार्च 2019 के अन्त में धनात्मक था, में से दो का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम था जो उनकी संभावित वित्तीय रुग्णता का संकेतक है।

(प्रस्तर 1.13)

पूँजी पर प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों जिनमें राज्य सरकार द्वारा सीधे अथवा स्वामित्व धारक वाली कम्पनियों (यूपीपीसीएल एवं यूपीआरवीयूएनएल अपनी सहायक कम्पनियों की स्थिति में) के माध्यम से धन का निवेश किया गया था, से सम्बंधित प्रतिफल (आरओई) की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि पूँजी पर 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थीं जो कि यह इंगित करता है कि संचित हानियों ने सम्पूर्ण अंशपूँजी को समाप्त कर दिया।

(प्रस्तर 1.15)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

ऊर्जा क्षेत्र के 11 उपक्रमों में नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) 2016–17 से 2018–19 की अवधि में ऋणात्मक रहा तथा यह (–) 23.51 प्रतिशत से (–) 57.65 प्रतिशत के मध्य था।

(प्रस्तर 1.16)

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुत्थान

उदय के प्रावधानों के अनुसार, जीओयूपी ने ₹ 9,783.44 करोड़ की पूँजी, ₹ 19,566.88 करोड़ के अनुदान एवं ₹ 9,783.44 करोड़ के ऋण को उपलब्ध कराते हुये ₹ 39,133.76 करोड़ के कुल ऋण का 2015–16 एवं 2016–17 की अवधि के दौरान अधिग्रहण किया। इसके अलावा, जीओयूपी ने वर्ष 2017–18 में ₹ 669 करोड़ (2016–17 की हानि का 5 प्रतिशत) एवं वर्ष 2018–19 में ₹ 1,417 करोड़ (2017–18 की हानि का 10 प्रतिशत) की सब्सिडी प्रदान किया।

हालाँकि, उदय के अर्न्तगत परिचालन लक्ष्यों की प्राप्तियों के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर (डीटीज्) पर मीटरिंग, फीडर पृथक्कीकरण, असंयोजित परिवार को विद्युत, स्मार्ट मीटरिंग एवं एसीएस–एआरआर में अन्तर के क्षेत्रों में डिस्कॉम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। आगे, राज्य के डिस्कॉम्स की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि 2019–20 तक 14.86 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष 30.30 प्रतिशत थी। इसलिए, राज्य डिस्कॉम्स एटीएण्डसी हानि में कमी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके।

(प्रस्तर 1.20.3 एवं 1.20.4)

लेखाओं की गुणवत्ता

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 01 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान 28 लेखापरीक्षित लेखाओं में से, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 19 लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की। 16 लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 70 दृष्टान्त थे।

(प्रस्तर 1.21)

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये तीन मामलों में ₹ 29.01 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 1.26)

अध्याय–II: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सारांश निम्न है:

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण लाइन के निर्माण का नियोजन ठीक नही था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण की लागत एवं उधार लिए गए धन पर ब्याज पर ₹ 2.08 करोड़ की हानि के अतिरिक्त क्रय की गयी सामग्री पर ₹ 4.21 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध हुयी।

(प्रस्तर 2.1)

ठेकेदार से ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम की वसूली समयबद्ध तरीके से नहीं करने के कारण **पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** को ₹ 99.27 लाख की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2.2)

अध्याय–III: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

31 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश में 99 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे जिनमें 56 कार्यरत पीएसयूज (50 कम्पनियां एवं छः सांविधिक निगम) एवं 43 अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) शामिल हैं। 99 राज्य पीएसयूज में से, 24 पीएसयूज के वित्तीय निष्पादन को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। इन 24 पीएसयूज ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 2018–19 के दौरान ₹ 9,617 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.62 प्रतिशत के बराबर था।

(प्रस्तर 3.1 एवं 3.2)

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 24 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में 31 मार्च 2019 तक, कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 13,127.56 करोड़ था। निवेश में पूँजी 40.34 प्रतिशत एवं दीर्घावधि ऋण 59.66 प्रतिशत सम्मिलित थे। इसमें से जीओयूपी ने 15 पीएसयूज में ₹ 4,991.35 करोड़ का निवेश किया है जिसमे पूँजी ₹ 2,217.33 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 2,774.02 करोड़ निहित है।

(प्रस्तर 3.4 एवं 3.12)

बकाया लेखें

56 कार्यरत पीएसयूज में से, केवल सात पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 के लिए अपने लेखाओं को प्रस्तुत किया था एवं 49 कार्यरत पीएसयूज के 208 लेखे बकाया थे। 43 अकार्यरत पीएसयूज (परिसमापन वाले 12 पीएसयूज शामिल हैं), एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड) ने अपने 2018–19 के लेखे प्रस्तुत किये थे एवं 40 पीएसयूज[1] के 653 लेखे बकाया थे। 89 राज्य पीएसयूज जिनके लेखे बकाया थे, में से 27 पीएसयूज में जीओयूपी ने ₹ 3,685.90 करोड़ (पूँजीः ₹ 48.84 करोड़, ऋणः ₹ 1,161.24 करोड़ एवं अनुदानः ₹ 2,475.82 करोड़) का निवेश लेखाओं की बकाया अवधि के दौरान किया था।

(प्रस्तर 3.8 एवं 3.8.1)

राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

पीएसयूज का निष्पादन

24 कार्यरत पीएसयूज द्वारा वर्ष 2016–17 में अर्जित किया गया ₹ 55.62 करोड़ का लाभ वर्ष 2018–19 में घटकर ₹ 42.48 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो गया। नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार इन पीएसयूज में से, 15 पीएसयूज ने ₹ 374.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं नौ पीएसयूज ने ₹ 416.83 करोड़ की हानि उठाई। 2018–19 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले 15 पीएसयूज में से, पाँच पीएसयूज एकाधिकार श्रेणी से सम्बंधित हैं, नौ पीएसयूज निश्चित आय स्रोत श्रेणी से एवं एक पीएसयू प्रतिस्पर्धी वातावरण से सम्बंधित हैं। इस प्रकार इन पीएसयूज का लाभ या तो एकाधिकार का लाभ या बजटीय सहायता, आय, बैंक जमा पर ब्याज, कमीशन आदि निश्चित आय स्रोत के कारण हैं।

(प्रस्तर 3.13)

[1] इसमें दो पीएसयूज शामिल नहीं है यथा उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड जो कि परिसमापन के अन्तर्गत था, परिसमापन में जाने के तिथि तक जिसके कोई लेखे बकाये में नहीं हैं।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा 15 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेशित धनराशि का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 6,657.36 करोड़ आगणित होता है। 2000–01 से 2004–05 के अवधि के दौरान, इन पीएसयूज ने समग्र हानि उठाई लेकिन 2005–06 से 2009–10 के अवधि के दौरान इन पीएसयूज ने निवेशित धनराशि के लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से अधिक लाभ अर्जित किया। हालाँकि, वर्ष 2010–11 से 2012–13 के अवधि के दौरान, यद्यपि इन पीएसयूज ने लाभ अर्जित किया, फिर भी इनका कुल लाभ पीएसयूज में किये गए निवेश की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम था। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयूज में पुनः वर्ष 2013–14 से लगातार हानि हो रही थी।

(प्रस्तर 3.15)

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)

प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र के पीएसयूज में शुद्ध आय एवं शेयरधारकों की निधि दोनो ऋणात्मक थी इसलिए इनकी आरओई की गणना नहीं की जा सकी। एकाधिकारी वातावरण वाले पीएसयूज के सम्बंध में उनके एकाधिकारी अवसर के बावजूद 2016–17 एवं 2018–19 के दौरान आरओई ऋणात्मक थी जबकि निश्चित आय स्रोत वाले पीएसयूज की आरओई 2016–17 से 2018–19 की अवधि में धनात्मक थी।

(प्रस्तर 3.16)

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2017–18 एवं 2018–19 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 3,783.00 करोड़) और नोएडा मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (₹ 998.51 करोड़) में नियोजित पूँजी में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 24 पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की आरओसीई 2016–17 के दौरान 1.60 प्रतिशत से घटकर 2018–19 के दौरान 0.51 प्रतिशत हो गयी। प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में दो पीएसयूज की आरओसीई 2016–17 से 2018–19 के दौरान ऋणात्मक थी क्योंकि सभी तीन वर्षों में ब्याज एवं कर से पूर्व की आय (ईबीआईटी) ऋणात्मक थी।

(प्रस्तर 3.17)

निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2019 को 24 पीएसयूज में से, 12 पीएसयूज की ₹ 3,057.98 करोड़ की संचित हानियाँ थी। इन 12 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 में ₹ 416.38 करोड़ की हानि उठाई। इनमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का एक पीएसयू (उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड) शामिल था, जिसने वर्ष के दौरान ₹ 11.69 करोड़ की हानि उठायी। आगे, चार पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 में हानि नहीं उठायी, जबकि उनके पास ₹ 1,410.99 करोड़ की संचित हानि थी।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दोनों पीएसयूज को शामिल करके सात पीएसयूज के निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण उनकी संचित हानि से हो गया था तथा 31 मार्च 2019 को इनमे पूँजी निवेश ₹ 1,162.17 करोड़ के सापेक्ष इनका निवल मूल्य (–) ₹ 1,686.44 करोड़ हो गया था।

(प्रस्तर 3.19)

लाभांश का भुगतान

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयूज, जिन्होंने जीओयूपी को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया, की संख्या शून्य से सात के मध्य थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2016–17 के 2.87 प्रतिशत से 2017–18 में बढ़कर 4.73 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, 2018–19 में लाभ अर्जित करने वाले किसी भी पीएसयूज द्वारा लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.20)

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान कार्यरत पीएसयूज द्वारा 35 अन्तिमीकृत लेखाओं में से, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 15 लेखाओं पर क्वालीफाइड राय जारी की एवं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के तीन वर्षों के लेखाओं अर्थात वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 पर सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिकूल राय दी थी। 18 लेखाओं में लेखा मानकों का अनुपालन न करने के 80 दृष्टान्त थे। सीएजी ने भी तीन लेखाओं यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2013–14 के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के वित्त वर्ष 2015–16 के लिए एवं इलाहाबाद सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वित्त वर्ष 2015–16 के लिए प्रतिकूल प्रमाण–पत्र निर्गत किए थे।

(प्रस्तर 3.24)

अध्याय–IV: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयूज से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सारांश निम्न है:

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड अधिशेष मृदा की बिक्री के लिए अपने स्वयं के आदेश का पालन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष मृदा के निस्तारण पर ₹ 3.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जो अंततः जीओयूपी द्वारा वहन किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय खजाने को ₹ 1.41 करोड़ के राजस्व से वंचित किया गया।

(प्रस्तर 4.1)

अनुचित लेखांकन प्रणाली के कारण **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड** अपनी आय और अग्रिम कर देयता का सही आकलन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 4.2)

एक ठेकेदार को कार्य के आवंटन और कार्य के निष्पादन में अनुचित लाभ देने के कारण **उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड** को ₹ 2.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

(प्रस्तर 4.3)

उत्तर प्रदेश जल निगम ने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों एवं अधिक अनुबंधित भार के सत्यापन के कारण ₹ 3.54 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान किया।

(प्रस्तर 4.4)

भाग–ब आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभाग एवं इकाइयाँ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय–V: आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश सरकार के 18 विभाग आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति निम्न **तालिका** में दी गई है।

तालिकाः आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख विभागों के व्यय की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19
ऊर्जा	33,976.69	17,265.50[2]	31,270.17[3]
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	6,296.11	1,740.56[4]	4,114.53[5]
आवास एवं शहरी नियोजन	2,888.06	723.39[6]	983.69[7]
राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	2,721.56	2,987.80	3,051.80
वन	1,231.72	808.21[8]	811.33

स्रोत : सम्बंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

(प्रस्तर 5.2)

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

विभागों/इकाइयों में लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये गये पाँच प्रकरणों में ₹ 18.97 करोड़ की वसूली की गयी।

(प्रस्तर 5.7)

अध्याय–VI: आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

आर्थिक क्षेत्र के अर्न्तगत विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सारांश निम्न हैं:

राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि के गठन में राज्य सरकार की विफलता के परिणामस्वरूप **उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग** की ₹ 102.01 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे से बाहर रखी गई।

(प्रस्तर 6.1)

---

[2] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः विद्युत सब्सिडी, पूँजीगत व्यय तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण में कमी के कारण थी।

[3] 2018–19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि, विद्युत (सर्वाजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता तथा अन्य व्यय), विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋणों के कारण थी।

[4] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः सड़कों एवं सेतुओं पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

[5] 2018–19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः दूरसंचार पर व्यय और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, अन्य व्ययों और सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत व्ययों में वृद्धि के कारण थी।

[6] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं, शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, आवास एवं शहरी विकास पर पूँजीगत व्यय में कमी तथा शहरी विकास के लिए ऋणों में कमी के कारण थी।

[7] 2018–19 के दौरान व्यय में वृद्धि मुख्यतः शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।

[8] 2017–18 के दौरान व्यय में कमी मुख्यतः वानिकी एवं वन्यजीवों पर पूँजीगत व्यय में कमी के कारण थी।

बिना किसी शुल्क को प्रभारित किये ही हाई–टेक विकासकर्ता को पूर्वव्यापी उच्चतर तल क्षेत्र अनुपात की अनुमति देने के **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग** के निर्णय के कारण विकासकर्ता को ₹ 170.99 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 6.2)

अनुबंध में प्रतिभूति जमा की कटौती के लिए मानक प्रावधान को शामिल नहीं करने के कारण **लखनऊ विकास प्राधिकरण** को ₹ 2.40 करोड़ का ब्याज देना पड़ा।

(प्रस्तर 6.3)

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पाइल कार्य के अतिरिक्त मद को अधिक दरों पर निष्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.41 करोड़ की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।

(प्रस्तर 6.4)

राज्य सरकार के मानदण्डों के उल्लंघन में **मेरठ विकास प्राधिकरण** ने अपने उपाध्यक्ष के एक आवासीय भवन के निर्माण के लिए ₹ 5.36 करोड़ के भूमि के भूखण्ड पर ₹ 2.94 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 6.5)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ₹ 2.51 करोड़ के प्रशासनिक शुल्क की वसूली न करके विकासकर्ता को अनुचित लाभ दिया।

(प्रस्तर 6.6)

वन एवं वन्यजीव विभाग गैर–वन उपयोग के लिए वन भूमि के हस्तांतरण पर ₹ 22.53 करोड़ के प्रीमियम तथा पट्टा किराया को आरोपित करने एवं वसूलने में विफल रहा।

(प्रस्तर 6.7)

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा लागत विश्लेषण तैयार करने में सम्यक सतर्कता के अभाव के कारण दो सफाई अनुबंधों को उच्च दर पर दिये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जो अनुबंध के पूर्ण होने तक ₹ 3.04 करोड़ तक बढ़ जाएगा।

(प्रस्तर 6.8)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के पश्चात **ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण** ने ठेकेदार से ₹ 1.10 करोड़ की वसूली की।

(प्रस्तर 6.9)